

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
बल्लभ भवन, भोपाल - 462004

(19)

क्रमांक एफ 73-22 / 2012 / 20-3

भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
पीठ विहार, नई दिल्ली।

विषय - अराज्य सरकारी शिक्षण संस्था श्री कलर्थ मार्केट कन्या विद्यालय, इंदौर, म.प्र. को  
सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में  
—0000—

राज्य शासन द्वारा विषयाकृत संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शास्त्र पत्र के  
आधार पर संस्था को कक्षा 01 से 12 तक सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति  
प्रमाण-पत्र निम्नलिखित गतीय पर दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त गी  
संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा  
समय-समय पर शिक्षा के प्रवधं एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का  
पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रवध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर (म०५०) अथवा  
उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार  
क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस  
संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर  
जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(बी.एस.डा.वर्ष)

अदर संचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
11/6/12

11211

मृ०५० एफ क्रमांक एफ 73-22/2012/20-3

भोपाल दिनांक 13.6.12

पत्रिलिपि :-

सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था श्री बलार्थी माकेट कन्या विद्यालय, इंदौर, म.प्र.  
को सीबीएसई से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जिस भाती पर  
प्रदान की जाती है :-

- (1) संस्था सीबीएसई के अनुरूप मापदण्डों को पूर्ति करती है अथवा नहीं, उसका  
परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को पस्तुत आवेदन पत्र या  
शपथ-पत्र में दी गई जानकारी मलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं  
करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए नियमों का  
उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य  
शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- 2- आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र., ।  
3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इंदौर, म.प्र.।  
4- ऑर्डर युक् ।

अवर सचिव

12-6-12

७२ मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग  
11.6.12